

GST Hindi Update on Pre-shipment Inspection Certificate

पैरा 2.54 ऑफ हेंडबुक ऑफ प्रोसीजर के अनुसार metallic waste and scrap के importers को कस्टम क्लियरेंस के लिए pre-shipment inspection certificate (PSIC) कस्टम विभाग को देना होता है। यह सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी में import clearance से पहले जमा करना अनिवार्य है परंतु COVID- 19 की वजह से हुए lockdown में यह सर्टिफिकेट दे पाना importers के लिए मुश्किल है। अतः गवर्नमेंट ने एक trade notice no. 09/2020-2021 दिनांक 6th May 2020 को issue किया। इस ट्रेड नोटिस द्वारा गवर्नमेंट ने यह निर्देश दिया है कि pre-shipment inspection certificate की स्कैन copy importer इंपोर्ट करने के समय के समय custom department में दे सकता है। उस समय उसे ओरिजिनल कॉपी देने की आवश्यकता नहीं है परंतु यह सुविधा इंपोर्टर्स को एक शर्त पर मिली है कि उसे custom department में एक undertaking देनी होगी कि वह pre-shipment inspection certificate की ओरिजिनल कॉपी 60 दिनों के भीतर custom department में जमा करवा देगा। यह सुविधा इंपोर्टर्स को केवल 30 जून 2020 तक ही उपलब्ध है। COVID-19 की वजह से आई इस महामारी में इंपोर्टर्स को हो रही असुविधा के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा लिया गया यह कदम सराहनीय है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on <https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/> as well as follow us on twitter at <https://www.twitter.com/@capradeepjain21>.